l e{k Hkkjr dk ekuuh; mPpre U; k; ky; 0; ogkj (vihyh;) vf/kdkfjrk

0; ogkj vihy 1 (1; k 931@2019 2017 ds fo'kšk vuefr ; kfpdk dækted 5576 I s mn+ker

लीला बाई एवं अन्य		अपीलार्थी (गण)
	विरूद्ध	
सीमा चौहान एंव अन्य		प्रत्यर्थी (गण)

fu.kt

U; k; effr? uohu fl Ugk

अनुमति प्रदान की गई ।

- 2. अपीलार्थीगण मृतक के विधिक वारसान है। जो कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 जो कामगार प्रतिकर (संसोधन) अधिनियम 2009 द्वारा यथासंसोधित है (ऐतस्मिनपश्चात (अधिनियम) के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत उसके प्रतिकर के दावे को नामंजूर किये जाने से व्यथित हैं। मृतक, प्रथ्यर्थी क्रमॉक 1 के अधीन एक बस ड्राईवर था। वह बस की छत से अकस्मात गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई।
- 3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक ने कारबार के अनुक्रम में तथा कारबार से उद्भूत आकिस्मिक मृत्यु का सामाना किया है, जो वादी साक्षी क्रमॉक 2 अजय सिंह के बयान से स्पष्ट है। अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को प्रतिकर से इंकार करना, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्षयों की गंभीर अवहेलना है। मृतक द्वारा की गई कार्य की प्रकृति यह थी कि वह 24 घंटे बस के साथ रहे, जिसमें विफल होने पर नियोक्ता की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है। बस में मृतक की उपस्थिति मजबूरी से थी, न की उसकी इच्छा से। वादी साक्षी 2 ने बयान दिया है कि मृतक को बस के साथ रहना आवश्यक होता था और इसलिए उसे 24 घंटे के लिए 6000/- रूपये का वेतन प्रतिमाह दिया जाता था। केवल इसलिए कि, दुर्घटना तब हुई जब मृतक खाने के बाद बस से नीचे आ रहा था, सबूतों के अभाव में यह मानने के लिए कि मृत्यु कारबार के अनुक्रम में नहीं हुई या उससे उद्भूत नहीं हुई, पर्याप्त नहीं हो सकता। जनरल मैनेजर बी.

ई. एस. टी कारोबार , बॉम्बे विरूद्ध मेसर्स ऐग्नस , (1964) 3 एससीआर 930 पर भरोसा करते हुए मामले के तथ्य पर्याप्त रूप से कार्यों के प्राक्कल्पनात्मक विस्तार को दर्शाते हैं।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मृतक की ड्यूटी शाम 7:30 बजे खत्म होती है । उसने बताया है कि वह ड्यूटी की अवधि के बाद शाम 8:30 बजे गिर गया था । मृतक के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कारबार के अनुक्रम में तथा कारबार से उद्भूत मृत्यु का सामना करना पड़ा था। मृत्यु और कर्तत्यों के निर्वहन के बीच कोई निकटता नहीं थी । मृतक के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी इच्छा से बस की छत में खाना खाते समय वह ड्यूटी पर था।

5. उभयपक्षों की ओर से किए गए तर्कों का हमने विचार किया है । मृतक उम्र 42 वर्ष, प्रत्यर्थी कमॉक 1 की सार्वजनिक बस कां ड्रायवर था । उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई दावा मामला खारिज करते समय अभिकरण द्वारा मृतक का वेतन उसकी मृत्यु के समय 4275/- रूपये प्रतिमाह अवधारित किया गया ।

6. प्रतिदिन मृतक को सार्वजनिक बस से इन्दौर से बुरहानपुर तथा वापस बुरहानपुर से इंदौर यात्रियों को लेकर जाना पड़ता था । वादी साक्षी 2 के अनुसार एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 5 घंटे हैं। बस सुबह 6:30 बुरहानपुर से यात्रीयों को लेकर निकली और लगभग 11:00 बजे इंदौर पहुँची,। वापसी यात्राा इंदौर से तीन बजे से शुरू हुई और बुरहानपुर पर 7:30 या उसके बाद खत्म हुई । वादी साक्षी 2 के अनुसार, और उनके कार्य की प्रकृति के कारण मृतक और बस के कंडक्टर को 24 घंटे बस के साथ रहना आवश्यक होता था । अपीलार्थी ने यह भी कहा कि अपने कार्य की प्रकृति के कारण कई बार मृतक एक सप्ताह तक घर नहीं आता ।

7. उस दिन दुर्भाग्य से , मृतक लगभग 7:30 बजे इंदौर से बुरहानपुर टर्मिनल पहुँचा । लगभग 8:30 बजे भोजन करने के बाद बस की छत से नीचे उतरते समय उसकी आकिस्मक मृत्यु हो गई । विचार करने के लिए लघु प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु कारबार के अनकम में और उससे उद्भूत हुई । मामाले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतक बस टर्मिनल पर उपस्थित था और इंदौर से आने के बाद भी अपनी कार्य की प्रकृति के कारण वह मजबूरी और आवश्यकता से बस के साथ ही रहा , न कि अपनी इच्छा से । बस के रूट समय के लिए मतक को बस के साथ आसानी से उपलब्ध होने की आवश्यकता होती थी ताकि प्रतिवादी क्रमॉक 2 द्वारा प्रदान की जा रही यात्री सेवा प्रभावशाली रहे और प्रभावित ना हो। यदि मतक बस को खंडे करने के बाद हर दिन घर जाता और अगली सुबह लौटता , तब मृतक के घर से बस स्टैंड आने पर निर्भर होते हुए यात्रा करने वाली जनता के लिए बस सेवा की सुबिधा की समय की प्रभावशीलता निश्चित रूप से प्रभावित होती । स्वााभाविक रूप से इससे बस के प्रस्थान कार्यक्रम में अनिश्चिताता आती और यात्रा करने वाली जनता के लिए सेवा की दक्षता से समझौता किया जा सकती। मृतक द्वारा समय सारणी का अनुपालन स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी क्रमॉक 1 के लाभ के लिए ही होगा क्योंकि यह समय पर सेवा की वजह पर आय में वृद्धि करते हुए होगा । यह इस कारण से नहीं कि मृतक हफ्तों तक घर नहीं गया जैसा कि अपिलार्थी द्वारा बताया गया है। केवल इस कारण कि मृतक खाने के बाद बस कि छत से नीचे आ रहा था अलग से विचार नहीं किया जायेगा तथा यह मानने के लिए कि वह ड्यूटी पर नहीं था और इसलिए प्रतिकर पाने का हकदार नहीं था, कि व्याख्या निकटता से नहीं की जा सकती।

8. बुरहानपुर पहुँचने के बाद अगली सुबह इंदौर के लिए प्रस्थान करने तक जनता के सदस्य के रूप में बस स्टेंन्ड में नहीं रहा था या अपनी इच्छा से नहीं था। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि मृतक घर जाने तथा रात में बुरहानपुर बस स्टेंन्ड पर बस खड़ी करने के बाद अगली सुबह फुरसत से बापस आने के लिए खंत्रत था। यह अधिनियम एक कल्याणकारी विधि होने के नाते यह निर्धारित करने के लिए क्या दुर्घटना कारबार के अनुक्रम में या कारबार से उद्भूत हुई इसके प्रत्येक मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की व्याख्या, करनी होगी । , Xul में (ऊपर) यह देखा गया कि:—

"..... व्यक्ति का काम पूर्णत उस काम में शामिल नहीं है जिसे करने के लिए उसे नियोजित किया जाता है, उसमें उस कार्य को करने के लिए अनुषागिक विषय भी शामिल होते है। समय जिस दौरान भोजन लिया जाता है, वह क्षण जिस दौरान व्यक्ति अपने नियोक्त परिसर के एक भाग से दूसरे भाग से अपने काम के लिए जाता है, तथा आराम करने की अवधि सभी शामिल है"

9. वर्तमान मामलों के तथ्यों तथा साक्ष्यों की प्रकृति में "प्राक्कल्पनात्मक विस्तार" के सिद्धांत को लागू करने के लिए दुर्घटना और कारबार के बीच एक स्पष्ट कडी थी जो , Xul (ऊपर) में विचार में ली जा चुकी है और निम्नानुसार है :-

"तथापि यह सुस्थापित है कि, यह नियोक्ता परिसर के "प्राक्कल्पनात्मक विस्तार "के सिद्धांत के अधीन है जिससे ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जा सके जिसमें काम करने के वास्तविक स्थान पर जाने तथा छोड़ने के लिए कर्मकार बार बार गुजरता है। समय और स्थान दोंनो में कुछ युक्तियुक्त विस्तार हो सकता है और यह माना जा सकता है कर्मकार अपने कारबार के अनुक्रम में है भले ही वह अपने नियोक्ता के परिसर में न पहुँचा हो या परिसर को छोड़ दिया हो । यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दुर्घटना कर्मकार के कारबार से उद्भूत तथा कारबार के अनुक्रम में हुई या नहीं , इस "प्राक्कल्पनात्मक विस्तार "के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों की बहुत ही सावधानी से जाँच की जानी चाहिए।"

10. यदि मृतक के बस के साथ रहने की आवश्यकता , अभिन्न रूप से सेवा की दक्षता से जुड़ी हुई थी, जो कि प्रत्यर्थी क्रमॉक 1 द्वारा जनता को प्रदाय की जानी है और यदि मृतक अपने स्वभाव में जनता के सदस्य के रूप में अपनी इच्छा से

बस टर्मिनल पर उपस्थित नहीं था , तो हम कोई कारण नहीं देखते कि कारबार के "प्राक्कल्पनात्मक विस्तार "का सिद्धांत लागू ना हो ।

11. मंजू सरकार एवं अन्य विरूद्ध माबीश मियाँ एवं अन्य , (2014) 14 एस.सी.सी 21 में , Xul (ऊपर) का अनुसरण किया गया है जो निम्नलिखित रूप से अवलोकनीय है :-

> "जैसा कि अपिलार्थीगण के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से तर्क किया गया है कि वर्तमान मामले में भी "प्राक्कल्पनात्मक विस्तार" है। अतः हम यह मानेंगे कि सजल सरकार को प्रत्यर्थी कमॉक 1 व 2 के अधीन कारबार के अनुक्रम में रहते हुए सडक दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। इस प्रश्न को अवधारित करने के दौरान न्यायालय स्वयं ही गुमराह हुआ है और उनके द्वारा प्रदान किया गया निष्कर्ष अनुचित तथा अपोषणीय है।"

12. इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थीयों को अनुचित रूप से प्रतिकर से वंचित किया गया । तद्नुसार आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जावे । कर्मकार प्रतिकर आयुक्त ,श्रम न्यायालय खंडवा द्वारा पहले से ही मृतक का वेतन उसकी मृत्यु के समय 4275 / – रूपये प्रतिमाह अवधारित किया जा चुका है जो सही ठहराया गया । अपीलार्थीगण को देय प्रतिकर की गणना धारा 4 के अंतर्गत , व्यतिक्रम के लिए शास्ती अधीन धारा 4 A , के साथ-साथ पूर्वोक्त आधार पर की जायेगी तथा खर्चे अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत दियें जायेंगे। प्रतिकर की प्रमाण की गणना उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात् आयुक्त के समक्ष आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत होने से एक माह के भीतर की जायेगी । प्रत्यर्थी क्रमॉक 2 अपीलार्थी को अवधारित रकम न्यायाधिकरण द्वारा की गई गणना की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर अदा करे ।

13. अपील अनुज्ञात की गई ।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायमूर्ति नवीन सिंह

नई दिल्ली जनवरी 22, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने

के उपयोग तक ही सीमित हैं और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।